पद संख्या 2 के पद में वर्णित तथ्यों का जवाब इस प्रकार है कि तमाम कथन ादपत्र में वर्णन है। तथा मौके पर गैरसायलान काबिज उपयोग है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 3 के पद में वर्णित तथ्यों का जवाब इस प्रकार है कि सायल गैरसायल के विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होने से मय खर्चा प्रार्थनापत्र खारिज फरमावें।

बहस वकील उभयपक्ष राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। हमनें विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। दौरानें बहस वकील उभयपक्ष ने जाहिर किया है कि मूलवाद के निस्तारण तक उभयपक्षकारान को वादग्रस्त आराजी का राजस्व रेकर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया जाने का निवेदन किया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन किया गया। जिसमें सायलान व गैरसायलान वादग्रस्त आराजी के अभिलिखित खातेदार काश्तकार है व वकील उभयपक्ष ने जाहिर किया है कि मूलवाद के निस्तारण तक उभयपक्षकारान को वादग्रस्त आराजी का राजस्व रेकर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया जाने का निवेदन किया है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर हमारा विनम्र अभिमत है कि मूलवाद के निस्तारण तक उभयपक्षकारान को राजस्व रेकर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया जाना उचित समझते है। अतः प्रार्थना पत्र बखूबी साबित होने स्वीकार किया जाना विधिसंगत होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निर्ष्कषतः प्रार्थना–पत्र सायलान अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। **उभयपक्षकारान** को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि ताफैसला वाद सरहद मौजा बलाडा पटवार हल्का बलाडा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बलाडा तहसील जैतारण जिला ब्यावर राज. मे कृषि भूमि खसरा नम्बर 582 रकबा 1.5459 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम का **राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने** हेतु पाबंद किया जाता है। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दाखिल दफ़्तर जमा हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला–ब्यावर (राज0)

निर्णय आज दिनांक 09.01.2025 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला–ब्यावर (राज0)